

बिहार लोक सेवा आयोग
15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001


CWJC No. – 20482/2018 (Dr. Bibhuti Anand & Another Vs. The State of Bihar & Others) के एक याचिकाकर्ता, श्री अविनाश कुमार, अनुक्रमांक – 501077 द्वारा उक्त वाद में दायर I.A. के माध्यम से अनुभव के लिए किये गये 20 अंकों के दावा के समीक्षोपरान्त स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत बेसिक ग्रेड दन्त चिकित्सक (विज्ञापन संख्या-05/2015) के पद पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 01 रिक्ति के विरुद्ध श्री अविनाश कुमार, अनुक्रमांक – 501077 का परीक्षाफल

विज्ञापन सं. 05/2015 के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत दन्त चिकित्सक (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल दिनांक 29.09.2018 को प्रकाशित किया गया था। बाद में सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या-19947/2018 (अनिता कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उक्त वाद की याचिकाकर्ता, डॉ अनिता कुमारी, अनुक्रमांक – 503116 की अनुशंसा एक अनुशंसित उम्मीदवार की मृत्यु के कारण हुई रिक्ति की उपलब्धता के शर्त के साथ की गई थी।

उक्त विज्ञापन के अन्तर्गत प्रकाशित परीक्षाफल के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या- 20482/2018 (डॉ. बिभूति आनन्द एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) के एक याचिकाकर्ता, अनुक्रमांक – 501077, श्री अविनाश कुमार द्वारा एक I.A. Petition दायर कर 04 वर्षों के अनुभव के लिए 20 अंकों का दावा किया गया है जबकि आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के लिए तैयार की गई मेधा सूची में उन्हें 03 वर्षों के अनुभव के लिए 15 अंक देते हुए शामिल किया गया था।

उक्त याचिकाकर्ता द्वारा किये गये दावा की जाँच उनके द्वारा साक्षात्कार के समय समर्पित अनुभव प्रमाण पत्रों से की गई एवं जाँचोपरान्त 04 वर्षों के अनुभव के लिए 20 अंक का उनका दावा सही पाया गया। अनुभव के लिए 05 अंक जोड़े जाने के बाद उनका कुल अंक अनारक्षित (01) कोटि के कट-ऑफ अंक 56.58 से अधिक हो जाता है और वे चयन की परिधि में आ जाते हैं। फलस्वरूप, आयोग, विशेष परिस्थिति में अनारक्षित (01) कोटि के एक सफल एवं अनुशंसित उम्मीदवार की मृत्यु के आलोक में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई अनारक्षित (01) कोटि की रिक्ति के विरुद्ध अनुक्रमांक – 501077, श्री अविनाश कुमार को सफल घोषित करता है।

तिथि: 29 जुलाई, 2019


संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना